राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 2423/2012

क्षेत्रीय प्रबंधक, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर के माध्यम से न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

----गैर-दावेदार संख्या 3-अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री चतुर्भुज जी सोनी, उम्र 60 वर्ष,
2. श्रीमती चमन सोनी पत्नी श्री पवन कुमार, उम्र 32 वर्ष,
3. कुमार सलोनी पुत्री श्री पवन कुमार, उम्र 12 वर्ष,
4. मास्टर अंकित पुत्र श्री पवन कुमार, उम्र 10 वर्ष,
5. श्रीमती सरला पत्नी श्री गजराज जी सोनी, उम्र 40 वर्ष,
6. मास्टर प्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री गजराज जी सोनी, उम्र 16 वर्ष,

   संख्या 3 और 4 अपनी प्राकृतिक संरक्षक माँ श्रीमती के माध्यम से नाबालिग हैं। चमन सोनी और संख्या 6 प्राकृतिक संरक्षक माँ श्रीमती सरला सोनी के माध्यम से नाबालिग है।

   सभी निवासी केसरिया ज्वैलर्स, बाहर नेहरू गेट, गीता भवन रोड, ब्यावर, जिला अजमेर (राजस्थान)

----दावेदारों-प्रत्यर्थीगण

7. रघुवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी वृंदावन मथुरा (उत्तर प्रदेश) (वाहन ट्रक संख्या HR- 38H-5545 का चालक) **(मृतक के बाद से)।**
8. जसवन्त सिंह पुत्र श्री हवेला सिंह बाजवा, निवासी 210 दुर्गापुरी विस्तार दिल्ली (वाहन ट्रक नं. HR- 38H-5545 का मालिक)।
9. हरि प्रकाश साहनी पुत्र श्री गौर राम साहनी, निवासी 116/11, ब्रह्मपुर मेडता सिटी, नागौर **(मृतक)** (वाहन इंडिका कार संख्या RJ-21CA-0783 का मालिक)।
10. श्रीमती हरि प्रकाश साहनी पत्नी हरि प्रकाश साहनी, निवासी 116/11, ब्रह्मपुर मेड़ता

सिटी, नागौर हरि प्रकाश साहनी के विधिक प्रतिनिधि।

11. राहुल साहनी पुत्र हरि प्रकाश साहनी, निवासी 116/11, ब्रह्मपुर मेड़ता सिटी, नागौर हरि प्रकाश साहनी का विधिक प्रतिनिधि (वाहन इंडिका कार संख्या आरजे-21 सीए-0783 का मालिक)।

12. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीवर (कार संख्या आरजे-21सीए-0783 की बीमा कंपनी)।

----दावेदारों-प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री प्रवीण जैन वीसी के माध्यम से
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री ऋषिपाल अग्रवाल वीसी के माध्यम से
		श्री जय प्रकाश गुप्ता वीसी के माध्यम से

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 02/02/2022

निर्णय उच्चारित करने की तिथि : 05/02/2022

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. अपीलार्थी-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ट्रक पंजीकरण संख्या HR-38H-5545 का बीमाकर्ता है। 24.12.2007 को, ट्रक को तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप चालक रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। उपरोक्त दुर्घटना हेतु सोजत सिटी थाना प्रकरण संख्या 389/2007 दिनांक 25.12.2007 को दर्ज किया गया था। पुलिस आई और जेसीबी क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क के गंदे हिस्से में खींच लिया और ट्रक को पुलिस की जब्ती में वहीं छोड़ दिया गया। इस रिकॉर्ड पर एफ.आई.आर. की कॉपी प्रदर्श-8 है।

2. 26.12.2007 को, चालक पवन कुमार अन्य लोगों के साथ पंजीकरण संख्या RJ-21CA-0783 कार चला रहा था। 27.12.2007 को दर्ज सोजत सिटी पीएस केस संख्या 390/2007 की एफ.आई.आर. से पता चलता है कि पवन कुमार 26.12.2007 को कार चलाते समय तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और ट्रक के पीछे से उक्त ट्रक से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। सोजत सिटी थाना कांड संख्या

390/2007 की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि दुर्घटना पवन कुमार की तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। कार का बीमा प्रत्यर्थी संख्या 12- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से किया गया था। पीड़ित पवन कुमार के विधिक प्रतिनिधि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (उच्च जिला एवं सत्र न्यायाधीश) (फास्ट) के समक्ष दावा मामला संख्या 364/2011 (78/2008) लाए थे।

3. न्यायाधिकरण ने पाया कि उक्त दुर्घटना अन्य चलते वाहनों के मार्गदर्शन के लिए किसी फ्लैश लाइट या खड़े ट्रक को दिखाने वाले किसी अन्य संकेत के बिना ट्रक की लापरवाही से पार्किंग के कारण हुई थी। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने ट्रक पर 50% दायित्व और मृतक पर 50% अंशदायी लापरवाही तय की।

4. अपीलार्थी 2008/364/2011 के दावा मामले संख्या 78 में पारित दिनांक 01.05.2012 के आक्षेपित निर्णय से व्यथित है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण जैन का तर्क है कि मामलों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि किए बिना, ट्रक के चालक और मालिक के साथ-साथ बीमाकर्ता को भी दावा याचिका में कार के मालिक और बीमाकर्ता के साथ पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था। बिना इस तथ्य की पुष्टि किये कि उक्त ट्रक की दुर्घटना में चालक रघुवीर सिंह की दो दिन पहले ही मौत हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायाधिकरण ने पहले से ही क्षतिग्रस्त ट्रक की 50% लापरवाही को गलत ठहराया, बल्कि दुर्घटना 100% कार चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। इसके अलावा, ट्रक पुलिस की जब्ती में था, अतः यह नहीं माना जा सकता था कि ट्रक की पार्किंग ड्राइवर या वाहन के मालिक की लापरवाही का परिणाम थी। दावे के मामले में ट्रक के मालिक जसवन्त सिंह से एनएडब्ल्यू-2 के रूप में पूछताछ की गई और उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा लाई गई क्रेन ने ट्रक को खींचकर मुख्य पिच रोड के किनारे मिट्टी वाली सड़क पर स्थानांतरित कर दिया था। पुलिस को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया वरना पूरा मामला न्यायाधिकरण के सामने आ जाता।

6. इस अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 12 को केवल इस प्रश्न पर नोटिस जारी किया कि क्या अपीलार्थी-एश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या यह प्रत्यर्थी संख्या 12-ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, जो मुआवज़े के भुगतान का दायित्व वहन करना चाहिए।

7. प्रत्यर्थी संख्या 12 के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिपाल अग्रवाल का तर्क है कि न्यायाधिकरण ने **राज रानी और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2009 (13) एससीसी 654 में 2008 एसीजे (एससी) 1617** में प्रकाशित मामले के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें मामले का तथ्य यह था कि ट्रक बिना किसी फ्लैश लाइट के बीच सड़क पर खड़ा था और वाहन मौत का कारण बना जो ट्रक के पीछे से आ रहा था और ट्रक से टकरा गया। विद्वान अधिवक्ता ने विविध मामलों में **माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 1378/2017: श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पुष्पा एवं अन्य,** के निर्णय पर भी भरोसा किया है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती सुनीता यादव एवं अन्य ने 2007 (1) टीएसी 992 (राजस्थान)** में प्रकाशित पर भरोसा किया है।

8. मेरे विचार में, उपरोक्त में से कोई भी मामला इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यर्थी संख्या 12 की मदद नहीं कर रहा है। **राज रानी (सुप्रा.)** मामले में ट्रक के चालक ने बिना किसी फ्लैश लाइट या संकेतक के ट्रक को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया था। **श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा.)** में, फिर से लॉरी के चालक ने टार रोड (पिच रोड) पर आधी गाड़ी खड़ी कर दी थी। इसी तरह, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा.)** में ट्रक को ड्राइवर ने बिना किसी रिफ्लेक्टर, ब्लिंकर या संकेतक के पार्क किया था। उक्त ट्रक से मध्यम गति की एक जीप टकरा गयी थी।

वर्तमान मामले में, माना जाता है कि ट्रक की पार्किंग ड्राइवर या ट्रक के मालिक की लापरवाही के कारण नहीं थी। दो दिन पहले ही हादसे में चालक की मौत हो चुकी है। क्षतिग्रस्त ट्रक को जेसीबी क्रेन की मदद से खींचकर गंदे हिस्से पर सड़क के किनारे किया गया। ये तथ्य विवादित नहीं हैं। इस मामले के दावेदार उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से अनभिज्ञ थे या उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को दबाकर मृत चालक रघुवीर सिंह को दावा याचिका में पक्षकार बना दिया। इसके अलावा, ट्रक पुलिस के कब्जे में था और दावा याचिका में किसी भी पुलिस अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध पुलिस जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि दुर्घटना कार के चालक की एकमात्र लापरवाही का परिणाम थी, जो दुर्घटना के समय तेज गति और लापरवाही से काम कर रहा था। मामले का सूचक घटना का चश्मदीद गवाह है।

9. अतः, मेरे विचार में, विद्वान न्यायाधिकरण ने तथ्यों के साथ-साथ कानून का

संज्ञान लेते हुए यह माना कि दुर्घटना में 50% योगदान ट्रक का था। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ट्रक को उसके ड्राइवर या मालिक ने सार्वजनिक स्थान पर पार्क किया था, बल्कि निश्चित साक्ष्य यह है कि पुलिस क्रेन ने ट्रक को सड़क के गंदे हिस्से में खींच लिया था, जिससे पिच रोड पूरी तरह से आवाजाही के लिए खाली हो गई थी और कार किसी अन्य वाहन से किसी भी प्रत्यक्ष अवरोध के बिना सड़क के गंदे हिस्से पर तेजी से आगे बढ़ना। अतः, दुर्घटना लापरवाही और लापरवाही से कार चलाने का परिणाम थी।

10. तदनुसार, आक्षेपित निर्णय को इस हद तक अपास्त किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 अर्थात ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता पर मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व तय किया है। वास्तव में, दायित्व उस कार के मालिक और बीमाकर्ता के विरुद्ध था जिसके उपयोग के दौरान दुर्घटना हुई थी। अतः, न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4, 5, 6 और 7 का दोषमुक्ति भी कानून में टिकाऊ नहीं है। तदनुसार, इसे अलग रखा जाता है और आदेश दिया जाता है कि मुआवजे का भुगतान करने की पूरी देनदारी कार के मालिक और बीमाकर्ता के विरूद्ध जाती है। चूंकि कार का बीमा प्रत्यर्थी संख्या 12 के साथ किया गया था, अतः यह दावेदारों को देय संपूर्ण मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन होगा, अर्थात कार के चालक के पास वाहन चलाने का कोई लाइसेंस नहीं होगा या कोई उचित लाइसेंस नहीं होगा, तो प्रत्यर्थी संख्या 12 कार के मालिक से वसूली करने के लिए सक्षम होगा। दावेदार को भुगतान करने के बाद अलग से कार्यवाही शुरू की गई।

11. यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी ने पहले ही दावेदार को 5,10,500/- रुपये का भुगतान कर दिया है। अतः, अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 12 द्वारा प्रतिपूर्ति पाने का पात्र होगा। प्रत्यर्थी संख्या 12 अपीलार्थी को उपरोक्त राशि का भुगतान अपीलार्थी द्वारा दावेदार को उपरोक्त राशि पर भुगतान किए गए ब्याज के साथ करेगा। वसूली तक 12% ब्याज से बचने के लिए तीन माह के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

12. तदनुसार, यह अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

/RAJAT KUMAR

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।